

आदेश पत्रक

राजाको-तु जा
बनाम
अशोक शारिक

देखे अभिलेख हस्तक, 1914 का नियम 129

आदेश पत्रक ता० तक जिला धनबाद

एम.पी. वाद संख्या..... 678/17 धारा..... 107

तिथि	पदाधिकारी का आदेश और हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
<p>20.4.17</p> <p>18-129/17</p>	<p>.....^{वेकमोस} थाना अप्राथमिकी सं० 21/17... प्राप्त हुआ। अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जाँच पदाधिकारी स.अ.नि/अ, ति ने जाँच कर अपना प्रतिवेदन थाना प्रभारी ^{वेकमोस} एवं आ. नि ^{वेकमोस} द्वारा अग्रसरित किया गया है, जिसमें उल्लेख है कि^{21.5.17} को लेकर स्थानिय परिशांति भंग हो सकती है। प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि विपक्षी के कार्यों से कभी भी लोक परिशांति भंग हो सकती है। पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर मैं विपक्षी के विरुद्ध धारा 107 द.प्र.स की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए विपक्षी को निदेश देता हूँ कि वे मेरे न्यायालय में दिनांक^{11.5.17} को 10:30 बजे पूर्वाह्न में उपस्थित होकर अपना कारण पृच्छा दाखिल करें कि क्यों नही लोक परिशांति बनाये रखने हेतु 5000/- रुपये का दो सम्प्रतिभुतियों के साथ बंधपत्र लिया जाय।</p> <p>लेखापित एवं शंसोधित</p> <p>^{Lu} अनुमंडल दण्डाधिकारी धनबाद</p> <p>^{Lu} अनुमंडल दण्डाधिकारी धनबाद</p>	<p>31.5.17</p> <p>13/6/17</p> <p>28/6/17</p> <p>11/7/17</p> <p>26/7/17</p> <p>10/8/17</p> <p>29/8/17</p> <p>8/9/17</p> <p>20/9/17</p> <p>9/10/17</p> <p>23/10/17</p> <p>6/11/17</p> <p>20/11/17</p> <p>समाप्त</p>

